रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D. (D) 72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 55] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 6, 1978/माघ 17, 1899
No 55] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 6, 1978/MAGHA 17, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप मे रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1978

का० आ० 69(अ)/18अ/3 वि० वि० अ/77—केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क के साथ पठित धारा 18 क के अधीन जारी किये गये भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 613(अ)/18 क/18कक/J-वि० वि० अ/76, तारीख 15 सितम्बर, 1976 द्वारा इण्डस्ट्रियल रीकन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता को मैसर्स बंगाल पॉटरीज लिमिटेड, कलकत्ता जो 45, टाग्रारोड और 3, पगलाडांगा रोड, कलकत्ता स्थित दो औद्योगिक उपक्रमों का स्वामी है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है), का प्रबन्ध उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिये ग्रहण करने के लिये प्राधिकृत किया है,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18 ङ० की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची में ऐसे अपवादों, निर्बन्धनों और परिसीमाओं को विनिर्दिष्ट करती है जिनके अधीन रहते हुए कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) उक्त औद्योगिक उपक्रमों को उसी रीति से लागू होता रहेगा जैसे वह धारा 18कक के साथ पठित धारा 18 क के अधीन आदेश जारी किये जाने के पूर्व उसे लागू होता था।

अनुसूची

कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्ध	वे अपवाद निर्बन्धन और परिसीमाएं जिनके अधीन रहते हुए स्तम्भ (1) में वर्णित उपबन्ध उपक्रम को लागू होंगे
1	2
धारा 166	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रमों को लागू नहीं होंगे । किन्तु यह अपनी कानूनी विवरणियां और तुलन पत्र कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगी । यह छूट कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 159(1) के उपबन्धों को प्रभावित नहीं करेगी ।
धारा 210(1)	—वही—
धारा 211	इस धारा का उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रमों को लागू नहीं होगा।
धारा 217	इस धारा का उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रमों को लागू नहीं होगा।
धारा 224	इस धारा के उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रमों को लागू नहीं होंगे, बशर्ते कि लेखा परीक्षक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाय।

1	2
धारा 293	इस धारा का उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रमों को लागू नहीं होगा।
धारा 294(2)	इस धारा का उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रमों को लागू नहीं होगा।

[फा० सं० 2(19)/75-सी० यू० सी०]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 6th February, 1978.

S.O. 69(E)/18E/IDRA/78.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 613(E)/18FA/IDRA/76 dated the 15th September, 1976, issued under section 18FA read with section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government has authorised the Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, Calcutta, to take over the management of Messrs. Bengal Potteries Limited, Calcutta, owning two industrial undertakings at 45, Tangra Road and at 3, Pagladanga Road, Calcutta (hereinafter referred to as the said industrial undertakings) for the period specified therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18E of the said Act, the Central Government hereby specifies, in the Schedule annexed hereto the exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956) shall continue to apply to the said industrial undertakings in the same manner as it applied thereto before the issue of the Order under section 18FA read with section 18AA.

SCHEDULE

Provisions of the Companies Act, 1956	Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in column (1) shall apply to the undertakings
1	2
Section 166	Provision of this section shall not apply to the said industrial undertakings. These shall, however, file their statutory returns and balance sheets with the Registrar of Companies. The exemption will not affect the provisions of section 159(1) of the Companies Act, 1956.
Section 210(1)	Provision of this sub-section shall not apply to the said industrial undertakings. These shall, however, file their statutory returns and balance sheets with the Registrar of Companies. The exemption will not affect the provisions of section 159(1) of the Companies Act, 1956.
Section 214	Provision of this section shall not apply to the said industrial undertakings.
Section 217	Provision of this section shall not apply to the said industrial undertakings.
Section 224	Provision of this section shall not apply to the said industrial undertakings subject to the condition that the auditor shall be appointed by the Central Government.
Section 293	Provision of this section shall not apply to the said industrial undertakings.
Section 294(2)	Provision of this section shall not apply to the said industrial undertakings.

[File No. 2/19/75-CUC]

फा० आ० 70(अ)/18 एए०/आई डी० आर० ए०/77:—केन्द्रीय सरकार का, उस दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर, जो उसके कब्जे में है, यह समाधान हो गया है कि मैसर्स कोटायम टैक्सटाइल्स लिमिटेड, कोटायम, केरल नामक औद्योगिक उपक्रम तीन मास से अधिक की अवधि के लिये बन्द करा दिया गया है और इस प्रकार की बन्दी संबंधित अनुसूचित उद्योग, अर्थात् सूती वस्त्र उद्योग के हित के प्रतिकूल है और उक्त औद्योगिक उपक्रम की स्वामी कम्पनी की वित्तीय दशा तथा ऐसे उपक्रम के संयंत्र और मशीनरी की दशा ऐसी है कि उपक्रम का पुनः चालू करना संभव है तथा उसका इस प्रकार से चालू किया जाना लोकहित में आवश्यक है;

अतः अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केरल स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड को (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है), उक्त समस्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध निम्नलिखित शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए, ग्रहण करने के लिये प्राधिकृत करती है, अर्थात्:—

(1) प्राधिकृत व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सभी निदेशों का पालन करेगा।

(2) प्राधिकृत व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो, प्राधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति को उक्त अवधि से पूर्व पर्यवसित कर सकती है।

2. यह आदेश, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होकर पांच वर्ष की अवधि तक, प्रभावी रहेगा।

[फा० सं० 3(1)/77-सी० यू० सी०]

जी० वी० रामकृष्ण, अवर सचिव

S.O. 70(E)/18AA/IDRA/78.—Whereas the Central Government is satisfied from the documentary evidence in its possession that the industrial undertaking known as Messrs. Kottayam Textiles Limited, Kottayam, Kerala, has been closed for a period exceeding three months and such closure is prejudicial to the concerned scheduled industry, namely, cotton textile industry, and that the financial condition of the company owning the industrial undertaking and the condition of the plant and machinery of such undertaking are such that it is possible to re-start the undertaking and such restarting is necessary in the interests of the general public;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby authorises the Kerala State Textile Corporation Limited (hereinafter referred to as the authorised person) to take over the management of the whole of the said industrial undertaking, subject to the following terms and conditions, namely :—

(1) The authorised person shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government.

(2) The authorised person shall hold office for a period of five years from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

(3) The Central Government may terminate the apointment of the authorised person earlier, if it considers it necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

[File No. 3(17)/77-CUC]

G. V. RAMAKRISHNA, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978